राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प.14(18)कार्मिक/क–2/96पार्ट जयपुर, दिनांकः 07-08-2007

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष(संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)

परिपत्र

इस विभाग के ध्यान में आया है कि निःशक्तजनों के पास स्थायी निःशक्तता प्रमाण पत्र होने के बाद भी उन्हें नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने/तीन साल बाद पुनः प्रमाण पत्र बनवाने हेतु कतिपय विभागों द्वारा कहा जाता है, जिससे निःशक्तजनों को अनावश्यक परेशानी होती है।

नियमानुसार चिकित्सा बोर्ड द्वारा सम्यक परीक्षा के पश्चात् ही ऐसी स्थायी निःशक्तताओं के मामले में स्थाई प्रमाण पत्र जारी किये जाते है, जिनमें निःशक्तता की मात्रा में परिवर्तन का कोई अवसर नहीं होता है एवं जहां निःशक्तता की मात्रा में परिवर्तन का अवसर होता है वहां वैधता की अवधि अंकित करते हुऐ अस्थाई प्रमाण पत्र जारी किये जाते है। अतः यदि किसी निःशक्तजन को स्थाई निःशक्तता का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है, तो उससे पुनः नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहना उचित नहीं है।

अतः समस्त नियुक्ति अधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त दिशा निर्देशों के साथ राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के प्रावधानों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करावें।

(मुकेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
5. पंजीयक, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली
6. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर
7. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
9. रक्षित पत्रावली ।

(लोकनाथ सोनी)
शासन उप सचिव

27/07